न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 181/2021 प्रार्थनापत्र

भैरू पुत्र श्री घीसा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी–जालमपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
श्री मेवा पुत्र घीसा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी–जालमपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
श्रीमती सरजू पत्नी घीसा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी–जालमपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

——— प्रार्थीगण

बनाम

01. श्रीमती ऐजी पत्नी दोला गुर्जर उम्र वयस्क निवासी– जालमपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)–मृतक
    1/1 मांगी पुत्री दोला गुर्जर एवं पत्नि श्री गोपी गुर्जर निवासी जालमपुरा हाल निवासी दहीमथा तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
    1/2 बरदी पुत्री दोला गुर्जर एवं पत्नि जमनालाल गुर्जर निवासी जालमपुरा हाल निवासी लालरी तहसील करेडा जिला भीलवाडा।
02. श्री गोपी पुत्र गणेश गुर्जर उम्र वयस्क निवासी– जालमपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. छोगा पुत्र गणेश गुर्जर उम्र वयस्क निवासी– जालमपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. श्री धर्मा पुत्र गणेश गुर्जर उम्र वयस्क निवासी– जालमपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. नारायण पुत्र श्री अमरा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी– जालमपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. नारायण दत्तक पुत्र बगता गुर्जर उम्र वयस्क निवासी– जालमपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
07. बालू पुत्र श्री गणेश गुर्जर उम्र वयस्क निवासी– जालमपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
08. मांगू पुत्र श्री अमरा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी– जालमपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
09. सवाई पुत्र श्री उदा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी– जालमपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
10. श्रीमती सायरी पुत्री श्री अमरा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी– जालमपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

——विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

01. श्री बन्दु सिह चुण्डावत –अधिवक्ता प्रार्थी
02. मुकेश जैन –अधिवक्ता अप्रार्थी
03. पेरोकार सरकार

दिनांक–24.12.2024

:: निर्णय ::

प्रार्थीगण के द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा– 251–ए राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद जालमपुरा पटवार हल्का दहीमथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) की कृषि आराजी नम्बर 156 रकबा 0.2656 हैक्टयर भूमि स्थित है। जो कि प्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज होकर प्रार्थीगण का कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी मे आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि रेकार्डेड रास्ता 164 से होते हुए जालमपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 192 मे होते हुए विपक्षी संख्या 01 लगायत 10 की आराजी संख्या 157 की पूर्वी दिशा की मेड के सहारे सहोर प्रार्थीगण अपनी आराजी नम्बर 156 मे जाता है। जिसमे से रास्ते को दर्ज कराया जावे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सुनवाई हेतु जरिये रस्टर्ड एडी दिनांक 03.09.2021 नोटिस प्रेषित किए गए। नियत दिनांक 12.10.2021 को विपक्षीगण की ओर अधिवक्ता श्री मुकेश जैन ने अधिकार पत्र पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रति अधिवक्ता र्थीगण को दिलाई गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में बहस करनी चाही। प्रकरण में उभयपक्ष धिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रकरण मे उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र मे वर्णित थ्यो को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख , नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौका निरीक्षण रिपोर्ट ी ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थी को राजियात पर आने जाने , संज बैलगाडी एंव कृषि उपकरण लाने ले जाने के कृषि कार्य का कोई वैकल्पिक स्ता न होना रिपोर्ट से दृष्टिगत होता है। तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के नाम र सरहद जालमपुरा पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी 156 दर्ज रेकार्ड है। राजी नम्बर 157 विपक्षी संख्या 01 लगायत 10 के नाम दर्ज रेकार्ड है , मौके पर वर्तमान मे उक्त आराजियात र आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता भी नही है। प्रार्थीगण के अनुसार वह इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करता ला आ रहा है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण की आराजी पर आने जाने हेतु आराजी नम्बर 57 रकबा 0.1138 हैक्टयर मे से 0.0138 हैक्टयर भूमि आं0 नम्बर 157 की पुर्वी दिशा की मेड के सहारे सहारे स्ता देने हेतु निवेदन किया,

मैने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , प्रार्थीगण रहद जालमपुरा पटवार हल्का दहीमथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे ाराजी नम्बर 156 मे आने जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 157 मे 15फीट चौडाई के रूप मे रास्ता र्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य हरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर सरहद जालमपुरा पटवार हल्का दहीमथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र माली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 156 मे आने जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी म्बर 157 रकबा 0.1138 हैक्टयर मे से 0.0138 हैक्टयर (15 फीट चौडाई) का रास्ता आ0 नं0 157 के पुर्वी देशा की मेड के सहारे सहारे रास्ता के रूप कृषि कार्य हेतु आने जाने का रास्ता दिया जाना स्वीकार किया जाता है तथा इसी भांति राजस्व नक्शा मे भी रास्ता कायम करने की आज्ञा पारित की जाती है इस आदेश की ालना मे तहसीलदार करेडा को तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की जावे की रास्ते के लिए आरक्षित की जाने वाली भूमि रकबा 0.0138 हैक्टयर रास्ते की भूमि की डी. एल. सी. दर से दो गुणा प्रार्थीगण से प्राप्त कर वेपक्षीगण को क्षतिपुर्ति हेतु अदा की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 24.12.224 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)